

बिक्री सूचना संपत्ति की ई-नीलामी - "परिशिष्ट - IV - ए (नियम 6 (2) और 8 (6) देखें)"

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6 (2) एवं 8 (6) के अंतर्गत चल / अचल संपत्तियों की ई-नीलामी रखी गई है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) (संशोधन) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम (SARFAESI ACT) 2002 के नियम 9 (1) के तहत 15 दिनों की सांविधिक संपत्ति नीलामी बिक्री सूचना उधारकर्ताओं/ जमानतदारों/ कॉरपोरेट उधारकर्ताओं को दिया जाता है। इस सूचना के द्वारा आम जनता और विशेषकर ऋणी, बंधककर्ता (ओं) एवं जमानतकर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित दृष्टिबंधक / गिरवी / बंधक चल / अचल संपत्तियों जो कि प्रतिभूति लेनदार के पक्ष में, जिनका सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है कि बिक्री निम्नवर्णित खातों में वसूली के लिए ई-नीलामी द्वारा " जो हैं जहां हैं ", " जो हैं जैसी हैं " एवं " जो कुछ भी हैं " के आधार पर रखी गई हैं। कर्जदारों / जमानतदारों / सिक्योरिटी एसेट्स / बकाया / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी की तारीख, समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

ई-नीलामी दिनांक- 24.03.2026, समय- प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक आयोजित की जाएगी

क्र.	उधारकर्ता(ओं) / जमानतदार(ओं)/ बंधककर्ता(ओं) का नाम एवं पता .	चल/ अचल संपत्ति का सही संक्षिप्त विवरण के साथ बैंक की जानकारी में कोई अधिभार नहीं है. एवं कब्जे का स्वरूप सांकेतिक / भौतिक	कुल बकाया राशि	आरक्षित मूल्य
				ईएमडी
				बोली वृद्धि राशि
1	उधारकर्ता: श्री अनिल मल्होत्रा पिता सोनू राम मल्होत्रा, सह-उधारकर्ता: श्रीमती सावित्री मल्होत्रा पति श्री अनिल मल्होत्रा, जमानतदार : श्री मदनक हरथानी पिता श्री कनक राय हिरवानी. शाखा- धमतारी मुख्य शाखा	आवासीय भूमि एवं भवन - खसरा नं 18/14 (पुराना खसरा नं 18, 19/44), बठेना वार्ड (सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड) वार्ड नं 5, तहसील एवं जिला – धमतरी, छ.ग. 493773 में क्षेत्रफल- 1375.0 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक – श्री अनिल मल्होत्रा एवं श्रीमती सावित्री मल्होत्रा। *सांकेतिक कब्जा.	रु. 20,63,664.57 + ब्याज एवं अन्य शुल्क	₹ 26,08,200/- ₹ 2,60,820/- ₹ 25,000/-
2	उधारकर्ता: मोहम्मद शाहिद रजा पिता मोहम्मद यूसुफ रजा, सह-उधारकर्ता: सना रजा पति मोहम्मद साहिद रजा, शाखा- धमतारी मुख्य शाखा	आवासीय भूमि एवं भवन - प्लॉट नंबर 33/25, शीट नंबर 39, मौजा: बठेना वार्ड, वार्ड नंबर 6, प.ह नंबर 19, आरआईसी एवं जिला - धमतरी में क्षेत्रफल-1507 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - मोहम्मद शाहिद रजा पिता मोहम्मद यूसुफ रजा। *सांकेतिक कब्जा	रु. 25,40,284.00 + ब्याज एवं अन्य शुल्क	₹ 23,11,000/- ₹ 2,31,100/- ₹ 25,000/-
3	उधारकर्ता: श्री राकेश कुमार वैद्य पिता श्री श्याम लाल, जमानतदार : श्री द्वाराका प्रसाद वैद्य पिता श्री श्याम लाल एवं द्वाराका प्रसाद वैद्य के कानूनी उत्तराधिकारियों। शाखा- धमतारी मुख्य शाखा	आवासीय भूमि एवं भवन - मकान नंबर 108, सर्वे नंबर 2303/2, दानीटोला वार्ड, धमतरी, छत्तीसगढ़, पिन- 493773, क्षेत्र - 4350 वर्ग फुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्री द्वाराका प्रसाद वैद्य पिता श्री श्याम लाल। सीमाएं :-उत्तर : स्वयं की खुली भूमि, दक्षिण: मुख्य सड़क, पूर्व: सोनूराम साहू का प्लॉट, पश्चिम: महेश वैद्य का मकान। *सांकेतिक कब्जा	रु. 48,52,926.86 + ब्याज एवं अन्य शुल्क	₹ 1,08,00,000/- ₹ 10,80,000/- ₹ 25,000/-

बिक्री संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> एवं ऑनलाइन ई-नीलामी पोर्टल www.baanknet.com में दिये गये लिंक का संदर्भ लें. इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से मो. नं. 7974449257 पर भी संपर्क कर सकते हैं।